



उत्तर प्रदेश UTTAR



A. K. K. K.

2h. Sarthana (Muzer) विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु निम्न भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 2000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,12,280/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 9,30,000/- रुपये
6. ग्राम: जाटौली परगना दोराता
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) भूमि ख.रा नम्बर 1591/1 व 1720/1 मि०.
8. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर): हेक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0310 हे०
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं. विक्रित सम्पत्ति की लै. रेट के अंग्रेजी 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।

बिजेन्द्र सिंह

बिजेन्द्र सिंह

5/18
Ambedkar Town - M.R.T.

AGREEMENT/SALE DEED NO. 2028

NAME:

KHASRA NO.:

DETAILS OF EXPENSES INCURRED FOR EXECUTION OF AGREEMENT/SALE
DEED/G.P.A. OF SURYODAYA VIHAR/PANCHWATI ENCLAVE/NEW
PROPOSAL (MEERUT)

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT (RS)
01.	STAMP DUTY	7,800.00
02.	REGISTRATION FEE	10,000.00
03.	DEED WRITER FEE/TYPING	1250.00
04.	PHOTOSTATE & PHOTOGRAPHS	5000.00
05.	MISC. (REGISTRATION DEPT)	150.00
06.	MISC. EXPS FOR OBTAINING STAMP PAPERS	
07.	MIS. (OUT OF POCKET EXPENSES)	
08.	Cash paid to farmers.	51,000.00 ?
	of Belong by cheques.	1,45,450.00
TOTAL		RS. 1,45,450.00

(RUPEES)

Rs 1,45,450/-

ACCOUNTS: PLEASE CREDIT THE ABOVE AMOUNT IN MY IMPREST ACCOUNT.

(RAJINDER SHARMA)
SR. MGR. (LIAISON)
MEERUT PROJECTS

Passed for Rs. _____
Gen.Mgr. (Legal & LP)

Agreed KL



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

20 FEB 2005

. 2 .

11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नार इत्यादि): लागू नहीं
12. सम्पत्ति की अवस्थिति: नगरीय क्षेत्र
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
14. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
15. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
17. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 77,910/-रुपये, संलग्न स्टाम्प अंकन 78,000/- रुपये

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधारी भूमि खसरा नम्बर 1591/1, (एक हजार पांच सौ इक्यानवे बटा एक) रकबा 0.0060 हे0 (शून्य दशमलव शून्य शून्य छः शून्य हैक्टेयर) व 1720/1 मि0, (एक हजार सात सौ बीस बटा एक मिनजुमला) रकबा 0.0250 हे0 (शून्य दशमलव शून्य दो पांच शून्य हैक्टेयर) कुल 2 दो नम्बर कुल रकबा

विजेन्द्र सिंह

विजेन्द्र सिंह

L. Brijendra Singh

(भाग 1)

(प्रस्तुतकर्ता अपना प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

कम-संख्या 14

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

कर्ता या प्रार्थी का नाम

का प्रकार

त की धनराशि

1-जिंदगीकरण शुल्क

2-प्रतिनिधित्व शुल्क

3-निरीक्षण या तलाश शुल्क

4-मुख्तारनामा के अधिग्रहण शुल्क

5-कपीकरण शुल्क

6-विविध

7-यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

शुल्क वसूल करने का दिनांक

दिनांक, जब लेख्य प्रतिनिधि या तलाश प्रमाणित

काफ़ी करने के सिद्धे तैयार होगा

जिंदगीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 7 1985 41 32

3

0.0310 हे० शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य हेक्टेयर स्थित ग्राम जादौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

- ✦ इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- ✦ विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।
- ✦ विक्रित भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
- ✦ पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
- ✦ विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- ✦ विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रांट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि बिजेन्द्र पुत्र श्री बलजीत निवासी दौराला, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष

बिजेन्द्र सिंह

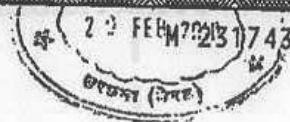


[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

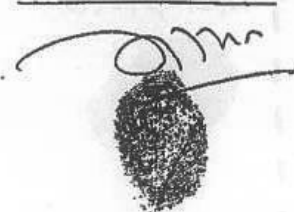


एवं

मे० अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.जी.एफ., इन्दप्रकाश,
21-भारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री
सी०बी० शर्मा निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली
क्रेता / द्वितीय पक्ष

इस लिख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित संक्रमणीय भूमिधरी के प्रथम पक्ष
व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त
भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं
भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और
प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तांतरित आदि करने
के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष

राजेन्द्र शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 5 .



के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 11,12,280/- रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य

मि. जे. जे. सिंह

